

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- MUOPO-4 (MU)-3054-04-107/2021 — /B/

/पटना, दिनांक- 13/11/2021

धेयक,

संजय दूधे, MUOPO 010
विशेष सचिव।

सेवा में,

महासंस्थाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय -

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-राडक तथा सेंटु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001, ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 राडक अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-राडक तथा सेंटु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 राडक अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Sl No	Division	Block	Project ID	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bhujha	Gidhour	20804101007	Bhujha Gidhour Main Road to Gidhour Railway Station	1.750	58.434	17.729	5.843	81.997
2	Tenmanganj	Chhatapur	21004901010	Deheria Durga Mandir to Bela Parti	8.000	355.060	89.780	35.510	471.350
3	Gopari	Partiatta	20904603003	Chhatish Nagar (Satish Nagar) to Korchakka Path Tak Path FWM Paliyaka Nirman	2.214	114.823	21.725	11.482	148.03
Total					11.964				701.377

- संदर्भित कार्यपालक अभियंता, योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओ/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः सतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुदान नीति-2018 के तहत MUD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के व्ययन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन